कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

सी–ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.–2, तुलसी नगर, भोपाल–462003

क्रमांक / एफ–3 / 97 / 2018 / 10–11 / 12 / 5218 भोपाल, दिनांक 8-12-23

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषयः–जिला सागर के अंतर्गत बंडा वृहद सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 530.85 हेक्टेयर (505.5 हे0 के स्थान पर) वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली का पत्र क्र. 8-04/2020-FC दिनांक 22.11.2023

––00––

विषयांतर्गत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र से चाही गई (ii) बिन्दुओं की जानकारी आवेदक विभाग से प्राप्त की जाकर निम्नानुसार संलग्न प्रेषित है :–

S.No	Conditions	Compliance
i	A(i)a: In order to minimize the extent of forest land diversion arising out of the fact due toshifting of transmission lines, the State Govt. will ensure that the requirement of forestland should be bare minimum. State Government will also ensure that the 'fait accompli'diversion proposal for shifting of transmission lines should not be passing over the nonforest land (NFL) pledged for Compensatory Afforestation.	इस शर्त से आवेदक विभाग सहमत है, वचन पत्र संलग्न है।
ii	A(i)b: The number of transmission lines shall not be more than four as proposed by the State government. Further, the forest land within the RoW of the transmission lines proposed to be abandoned due to submergence (outside the submergence area, if any) shall be handed over back to the forest department once the transmission lines are shifted.	इस शर्त से आवेदक विभाग सहमत है, वचन पत्र संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

08.12.23

(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–3 / 97 / 2018 / 10–11 / 12 / 5219 भोपाल, दिनांक 8-12-23

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) सागर वृत्त सागर, मध्यप्रदेश।
2. वनमंडलाधिकारी, सा0 वनमंडल उत्तर सागर, मध्यप्रदेश।
3. वनमंडलाधिकारी, सा0 वनमंडल दक्षिण सागर, मध्यप्रदेश।
4. परियोजना प्रबंधक, बीना (पी.एम.यू.), जल संसाधन विभाग सागर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

08.12.23

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D:\AJ\Data-irrigation\Section F-3 (Part-iii).docx

कार्यालय परियोजना संचालक,

बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)

Email ID : pdbinapmu@gmail.com

पत्र क्र. 1333..../बीना पी.एम.यू./सागर/2023–24 सागर दिनांक 28./11/2023

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
भू–प्रबंधन एवं नोडल अधिकारी
सतपुडा भवन भोपाल (म0प्र0)

विषयः– जिला सागर अंतर्गत बण्डा वृहद सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 530.85 हे0 वन के द्वितीय चरण की स्वीकृति हेतु अधिरोपित शर्तो का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत्।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र क्रमांक 8-04/2020-FC दिनांक 28/07/2021 एवं दिनांक 22.11.2023

------00------

संदर्भित पत्र क्रमांक 01 द्वारा सागर जिले मे बण्डा वृहद सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली वनभूमि 530.85 हे0 प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव पर द्वितीय चरण की सशर्त सैद्धांतिक अनुमति हेतु कार्यालय, बीना पी0एम0यू0 जल संसाधन विभाग सागर द्वारा उक्त सैद्धांतिक अनुमति मे अधिरोपित शर्तो का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, विवरण इस प्रकार है :–

MoEF & CC Condition	Compliance
A(i)a: In order to minimize the extent of forest land diversion arising out of the fact due toshifting of transmission lines, the State Govt. will ensure that the requirement of forestland should be bare minimum. State Government will also ensure that the 'fait accompli'diversion proposal for shifting of transmission lines should not be passing over the non forest land (NFL) pledged for Compensatory Afforestation.	**जल संसाधन विभाग म.प्र. शासन इस शर्त से सहमत है। वचन पत्र संलग्न है।**
A(i)b: The number of transmission lines shallnot be more than four as proposed by the State government. Further, the forest land within the RoW of the transmission lines proposed to be abandoned due to submergence (outside the submergence area, if any) shall be handed over back to the forest department once the transmission lines are shifted	**जल संसाधन विभाग म.प्र. शासन इस शर्त से सहमत है। वचन पत्र संलग्न है।**

अतः निवेदन है कि उक्त प्रकरण की अधिरोपित शर्तो का जबाव मान्य करते हुये अंतिम चरण सैध्दातिक स्वीकृति अतिशीघ्र जारी करने की कृपा करें।

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार वचन पत्र।

(अनिरूद्ध आनंद)
परियोजना प्रबंधक
बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग

(अनिरूद्ध आनंद)
परियोजना प्रबंधक
बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

पृष्ठा. क्र. /कार्य./बण्डा सिं.परि./2023–24 सागर, दिनांक /2023

प्रतिलिपिः–

वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, उत्तर सागर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्रः– शून्य

(अनिरूद्ध आनंद)
परियोजना प्रबंधक
बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग

(अनिरूद्ध आनंद)
परियोजना प्रबंधक

कार्यालय परियोजना संचालक

बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म.प्र.)

pdbinapmu@gmail.com

क्रमांक 1334 / कार्य. / बण्डा सिं.परि. / 2023–24 सागर, दिनांक 28 / 11 / 2023

वचन-पत्र

बण्डा परियोजना मे ट्रांसमिशन लाइनों के स्थानांतरण हेतु प्रस्तावित वन भूमि के व्यपवर्तन के प्रस्ताव में यह सुनिश्चित किया गया है कि चाही गई वन भूमि की आवश्यकता न्यूनतम है तथा बण्डा परियोजना अंतर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि के उपर से ट्रांसमिशन लाईन नहीं गुजरेगी एवं न ही प्रभावित होगी ।

(अनिरूध्द आनन्द)
परियोजना प्रबंधक
बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)

कार्यालय परियोजना संचालक

बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म.प्र.)

pdbinapmu@gmail.com

क्रमांक 1335 / कार्य. / बण्डा सिं.परि. / 2023—24 सागर, दिनांक 28.11.2023

<u>वचन-पत्र</u>

बण्डा परियोजना मे स्थानांतरित हो रही ट्रांसमिशन लाइनों की संख्या चार से अधिक नहीं होगी, साथ ही बण्डा परियोजना के जलमग्न क्षेत्र में वर्तमान में उपस्थित ट्रांसमिशन लाइनों के RoW के भीतर की वनभूमि एवं बाहर की वनभूमि का स्वामित्व ट्रांसमिशन लाइनों के स्थानांतरण उपरांत वन विभाग को वापिस की जावेगी।

(अनिरूद्ध आनन्द)
परियोजना प्रबंधक
बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग
सागर (म.प्र.)